Revised RR for SO
GSR NO. 123 dt. 19/8/20
GSR NO. 128 dt. 19/8/20

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10092020-221642
CG-DL-W-10092020-221642

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, अगस्त 23—अगस्त 29, 2020, शनिवार /भाद्र 1 —भाद्र 7, 1942
No. 26] NEW DELHI, AUGUST 23—AUGUST 29, 2020, SATURDAY/BHADRA 1— BHADRA 7, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संयुक्त सहायक निदेशक (प्रशासन) और सहायक अनुभाग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3**: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F.No.SM/01/12/2017]
ANITA DHADRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा. का. नि. 123.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1989 (ii) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, वरिष्ठ भौगोलिक सहायक और कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1999, जहाँ तक कि वे वरिष्ठ भौगोलिक सहायक के पद से संबंधित हैं और (iii) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उपसचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलसऔर थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक अधिकारी	31* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार **किया** जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; उप-निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/07/2018]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 19th August, 2020

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Assistant) Recruitment Rules, 1989 (ii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Senior Geographical Assistant and Junior Geographical Assistant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Senior Geographical Assistant and (iii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Scientific Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant and Scientific Officer, in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Assistant and Scientific Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	Number of Posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Research Assistant	200* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group- 'B'	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400)	Selection post	30 years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note1:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission. **Note 2 :** The crucial

be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. **Note4**: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Officer	31* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Group-'B', Gazetted	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Selection post	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100 percent by promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Research Assistant in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and possessing Masters Degree in Geography or Geology or Applied Geology or Geoinformatics or Geographical Information System and Remote Sensing or Geomatics or Geospatial Technology from a recognised University or institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** 1.Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Chairman; 2.Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology -Member; 3. Joint Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation -Member; 4.Deputy Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.SM/02/07/2018]

ANITA DHADRA, Under Secy.

Revised RRs for SO
GSR NO. 128 dt. 19/8/20

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11092020-221686
CG-DL-W-11092020-221686

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 27] नई दिल्ली, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2020, शनिवार /भाद्र 8 —भाद्र 14, 1942

No. 27] NEW DELHI, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2020, SATURDAY/BHADRA 8— BHADRA 14, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 125 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (वर्ग-III अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1968 को जहां तक उसका संबंध वरिष्ठ मूर्तिकार के पदों से है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में जहां तक उसका संबंध परियोजना मूर्तिकार पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने

immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications. **Note 3:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F.No.SM/01/12/2017]
ANITA DHADRA,Under Secy.

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 128 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और (i) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1989 (ii) राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, वरिष्ठ भौगोलिक सहायक और कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 1999, जहाँ तक कि वे वरिष्ठ भौगोलिक सहायक के पद से संबंधित हैं और (iii) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमैटिक मानचित्रण संगठन में अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नामविज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, अनुसंधान सहायक और वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे*

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4)में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचीके स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता, -**वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया हैं या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऐसे अनुसंधान सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या भू-सूचना या भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन या भूमितिकी या भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखता हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार **किया** जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध मे विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -अध्यक्ष; 2. सम्बद्ध निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य; 4. उप-निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/07/2018]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the19th August, 2020

G.S.R. 128 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Research Assistant) Recruitment Rules, 1989 (ii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Senior Geographical Assistant and Junior Geographical Assistant (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as they relate to the post of Senior Geographical Assistant and (iii) the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Scientific Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Assistant and Scientific Officer, in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Research Assistant and Scientific Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.